



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 24.01.2026

➢ थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने तथा दुष्कर्म की घटना कारित वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 28.12.2025 को वादिनी से अश्लील बातें करने व अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर वायरल करने तथा गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध वादिनी/पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 122/2025 धारा 352/351(3) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट बनाम विमल पुत्र वंशी निवासी सिलहरा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन एवं अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस बयान पीड़िता के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विमल पुत्र चरण सिंह करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम भर्पुर, थाना फूँद, जनपद औरैया को दिनांक 24.01.2026 को दमनपुर रोड कस्बा राजपुर बम्बा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम, पता-

अभियुक्त विमल पुत्र चरण सिंह करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम भर्पुर, थाना फूँद, जनपद औरैया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 122/2025 धारा 352/351(3)/ 64(1) बीएनएस व 67ए आईटी एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना राजपुर पुलिस